प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

प्रबन्धक,
राममेहर विद्यालय,
गांगनौली (बागपत)

पत्रांक/मान्यता/ 17796-97 /2018–19 दिनांक 29-03-2019

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, नियम,2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 03.07.2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार, श्री सतीश शर्मा, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र बिनौली के निरीक्षण एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), प्रथम मण्डल मेरठ की अध्यक्षता वाली गठित मान्यता समिति में लिए गये निर्णय के प्रति दिये गये निर्देश से, मै राममेहर विद्यालय, गांगनौली (बागपत) को दिनांक 23.03.2019 से 22.03.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक(अंग्रजी माध्यम) तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध–01) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010(उपाबंध–02) के उपबंधो का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
04. पैरा 03 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक या उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा।

    (1) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

    (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पुरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गयें अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है।

(8) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेगें।

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गयी प्रसुविधाए निम्नानुसार है–

विद्यालय परिसार का क्षेत्रफल – 6410.00 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र – 2148.99 वर्ग मी0
कीडा स्थल का क्षेत्रफल – 4261.01 वर्ग मी0
कक्षाओं की संख्या – 18 कक्ष
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष – हॉ
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – हॉ
पेयजल सुविधा – हॉ
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– हॉ
बाधा रहित पहुंच – हॉ
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्कारों/पुस्तकालय की उपलब्धता – हॉ

09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860 या 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, या व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकांउटैन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 2019–20 **UPS-126 (अंग्रजी माध्यम)** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करना है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबधों शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो एवं तथ्यों के आधार पर मान्यता प्रदान की गयी है। यदि आप द्वारा कूट रचित अभिलेख एवं तथ्य प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त की है, तो कूट रचना संज्ञान में आने पर अथवा विभागीय नियमों का पालन न करने के कारण विभाग द्वारा प्रदान की गयी मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
18. प्रति छात्र–छात्राओ की बैठन हेतु 09 वर्ग फुट का स्थान उपलब्ध कराया जाये।
19. मान्यता पत्रावली में संलग्न समस्त पत्राजात के सत्य होने का दस रूपये का नोटरी शपथ पत्र सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

भवदीय,

(राजीव रंजन कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

पृ0स0/मान्यता/ /2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विद्यालय के भवन तथा पत्रावली में संलग्न पत्राजातों/अभिलेखो का मिलान मूल प्रति से कर विद्यालय का नियमानुसार संचालन कराये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।